## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 388–पीबीआर / 16 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–13 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील मनावर जिला धार प्रकरण कमांक 69 / 2012–13 / अ–27.

---

हुकुमचन्द पिता हीरालाल
निवासी ग्राम मनावर
तहसील मनावर जिला धार ..............आवेदक

**विरूद्ध**

1– हिरालाल पिता छितर
2– रूपचंद पिता हीरालाल
3– भागचन्द्र पिता हीरालाल
निवासीगण ग्राम मनावर
तहसील मनावर जिला धार ..............अनावेदकगण

---

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 8/6/17 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 हिरालाल द्वारा तहसीलदार, तहसील मनावर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम भरडपुर स्थित खाता कमांक 191 के सर्वे नम्बर 41/2/3, 41/2/4, 46/1/1, 47 कुल रकबा 11.618 आरे एवं कस्बा मनावर

स्थित खाता कमांक 183 के सर्वे नम्बर 168/2, 169/1, 169/2, 170/2, 172, 173, 395/2, 309/1 कुल रकबा 3.880 आरे भूमि का पारिवारिक विभाजन अनुसार बटवारा स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 69/2012–13 दर्ज कर दिनांक 17–5–2013 को आदेश पारित कर उभय पक्ष के मध्य फर्द अनुसार बटवारा स्वीकृत किया गया । तदोपरान्त अनावेदकगण द्वारा दिनांक 6–6–13 को संहिता की धारा 51 व 52 सहपठित धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा 6–6–13 को आदेश पारित कर बटवारा आदेश दिनांक 17–5–2013 निरस्त किया जाकर विभाजन के पूर्व की स्थिति अनावेदक कमांक 1 हिरालाल का नाम यथावत दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत सभी पक्षों की उपस्थिति में सहमति के आधार पर दिनांक 17–5–2013 को विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील नहीं होने से वह अंतिम हो चुका है, और अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान होने से वही न्यायालय अपनी पूर्व आज्ञा को अपास्त नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय से मंजूरी लेना आवश्यक है ।

(2) तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण से दिनांक 6–6–13 को अर्जी लेकर दिनांक 6–6–13 को ही बिना वरिष्ठ न्यायालय की मंजूरी के बिना एवं आवेदक को सुनवाई किये बिना अधिकार बाह्य आदेश पारित किया है, जो कि एबिनोसाईड एवं शून्यवत है ।

(3) संहिता की धारा 51 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी अधिकारी स्वयं का आदेश पुनर्विलोकन किसी पक्ष की याचना पर से करता है तो जहां रेग्युलर निगरानी का प्रावधान है तो वहां संहिता की धारा 51 व 52 एवं 32 विधि से न तो पेश हो सकते हैं, और न ही अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि जहां कोई पक्षकार जिस आज्ञा को अपास्त करने के

लिए कोई कार्यवाही करता है तो ऐसी दशा में हितबद्ध पक्षकार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 85 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा विवादित आदेश दिनांक 6–6–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29–1–2016 को लगभग ढाई वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर समाप्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आदेश की जानकारी के संबधं में स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1992 आर.एन. 289 में स्पष्ट किया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–व्याप्ति–अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है–पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है–पर्याप्त कारण का सबूत–अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में हित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है–न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता है ।

(4) आवेदक हुकुमचन्द द्वारा बटवारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र के मध्य का मूल पृष्ठ कमांक 2 गायब करके उसके स्थान पर मनमाने तरीके से छल कपट व बेईमानीपूर्वक अनावेदकगण की भूमि हड़पने के उद्देश्य से भूमियों के आपसी बटवारा में हेराफेरी व फेरबदल करते हुए रकबे में फेरबदल व मौका बदलते हुए पृष्ठ कमांक 2 जोड़ दिया गया, जिसके संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत जांच की जाकर पूर्व पारित आदेश दिनांक 17–5–2013 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया गया है, जो कि उचित कार्यवाही है ।

(5) आवेदक द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय

द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच की जाकर अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया गया है ।

(6) आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 12ए/2013 आदेश दिनांक 12–1–2015 को निरस्त हो चुका है । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ।

(7) व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को विवादित भूमि का भूमिस्वामी नहीं माना गया है एवं अनावेदकगण के हित में आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा मूल प्रकरण में पाई गई विसंगतियों को देखते हुये प्रश्नाधीन आदेश से अपने पूर्व आदेश का पुनर्विलोकन कर निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा केवल पूर्व की स्थिति कायम की गई है जिससे आवेदक के हित प्रभावित नहीं हुये हैं, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील मनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–06–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर